इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

नियम-35 :- प्राधान *जोनल रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त के अधिकार एवं दायित्व

35.1 प्रधान * मुख्य सुरक्षा आयुक्त उसे सौंपे गए क्षेत्रीय रेलवे के सुरक्षा संगठन के प्रमुख होंगे और मौजूदा रेलवे नियमों के तहत विभाग प्रमुखों के लिए निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

३५.२ अधिनियम, नियमों और निर्देशों में निहित प्रावधानों के अधीन, वह अपने आदेश के तहत रखे गए बल के सभी सदस्यों पर प्रशासनिक, कार्यकारी और परिचालन नियंत्रण का प्रयोग करेगा।

35.3 वह व्यवहार करेगा-

(i) बल से संबंधित सभी स्थापना और कल्याण संबंधी मामले और बल को एक ही स्थान पर रखेंगे विशेष रूप से प्रभावी कर्मियों और वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से दक्षता की उच्च पिच और
उसके नियंत्रण में शाखाओं का निरीक्षण;

(ii) रेलवे पुलिस या किसी अन्य एजेंसी सहित पुलिस द्वारा जोनल को संदर्भित सभी मामले matters रेलवे सुरक्षा को लेकर रेलवे

35.4 वह अपने अधिकार क्षेत्र में रेलवे को बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा
संपत्ति, और उससे जुड़े सभी मामलों से निपटने और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करने के लिए: -

(i) सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराध और विशेष आसूचना के संग्रह और प्रसार की व्यवस्था करना
और रेलवे का कामकाज, सांख्यिकी, रिकॉर्ड और उससे संबंधित फाइलों का रखरखाव;

(ii) चोरी, चोरी, नुकसान और बुक किए गए खेपों की कमी की घटनाओं को कम करने के तरीकों और साधनों को विकसित करने के लिए मुआवजे के दावों के लिए और प्रभावित करने वाले अपराधों का मुकाबला करने के लिए
रेलवे राजस्व सहित रेलवे संपत्ति;

(iii) परिवहन में रेलवे संपत्ति या माल की चोरी के मामलों में गहन पूछताछ की व्यवस्था करना या दुर्विनियोजन, घाटशुल्क के अपवंचन से उत्पन्न रेल राजस्व की हानि के मामलों में तथा
विलंब शुल्क, धोखाधड़ी, आदि;

(iv) रेलवे की ओर से, रेलवे सहित राज्य पुलिस के साथ निकट संपर्क बनाए रखना
पुलिस के साथ-साथ नागरिक प्रशासन के साथ बैठकें और सम्मेलन आयोजित करके
रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समकक्ष;

(v) महाप्रबंधक को रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा, आग से बचाव के उपायों और मौजूदा रेलवे प्रतिष्ठानों, जैसे कार्यशालाओं, स्टोर, शेड, ट्रैक, यार्ड, आदि की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर और नए के बारे में सलाह देना। संपत्ति जो क्षेत्रीय रेलवे अधिग्रहण या निर्माण करने की योजना बना रही हो; और *शब्द 'प्रिंसिपल' जीएसआर 140 (ई), दिनांकित के माध्यम से डाला गया
2 फरवरी, 2018 20

(vi) सुरक्षा दवारा अनुशंसित अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रगति की निगरानी और निगरानी करना

नियम-36.मुख्य सुरक्षा आयुक्त+ या उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त की शक्तियां और जिम्मेदारियां:

36.1 मुख्य सुरक्षा आयुक्त+ या उप सुरक्षा आयुक्त, जैसा कि क्षेत्रीय रेलवे के सुरक्षा संगठन के उप प्रमुख के रूप में तैनात किया जा सकता है, ऐसी सभी वित्तीय, प्रशासनिक और अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो उन्हें इन नियमों के तहत या निर्देशों के माध्यम से या के रूप में

प्रत्यायोजित की जाती हैं। मौजूदा रेलवे नियमों के तहत संबंधित रैंक के रेल सेवकों के लिए प्रदान किया गया।

३६.२ वह करेगा-

(ए) अपने में सभी आधिकारिक बैठकों में संबंधित प्रधान * मुख्य सुरक्षा आयुक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं

अनुपस्थिति या जब विशेष रूप से इस उददेश्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया हो;

(बी) अपने कार्यों के निर्वहन में संबंधित प्रधान * मुख्य सुरक्षा आयुक्त की सहायता करना

रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित और इसके खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए, अपराधियों पर मुकदमा चलाना, आंकडों का रखरखाव, अपराध की खुफिया जानकारी का संग्रह-इसका मिलान और प्रसार- अग्नि निवारण उपायों को लागू करना, अन्य रेलवे विभागों आदि के साथ संपर्क करना; तथा

(सी) निम्नलिखित अन्य कार्य करें:-

(i) रेलवे संपत्ति के नुकसान, चोरी, चोरी, कमी और दुरूपयोग के मामलों की समीक्षा करना ताकि उनकी घटनाओं को कम किया जा सके;

(ii) खंड (सी) (i) के तहत उत्पन्न होने वाले दावों के रुझानों को देखना और उनका अध्ययन करना और दावा संगठन के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय रेलवे पर अपने समकक्षों के साथ मिलकर उनकी रोकथाम के लिए उचित उपाय शुरू करना;

(iii) रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 के तहत अपराध और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के विशेष रिपोर्ट मामलों की जांच आयोग में आना और आवश्यक समझे जाने पर निर्देश जारी करना; तथा

(iv) रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसमें लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्रधान * मुख्य सुरक्षा आयुक्त दवारा निर्देशित रेलवे पुलिस और अन्य नागरिक विभागों सहित पुलिस के साथ बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन और भाग लेना।

३६.३ वह यह भी करेगा:

(i) हथियारों, गोला-बारूद, कपड़े, स्टोर आदि के रसद, परिवहन, खरीद और वितरण की देखभाल करना;

(ii) अपने क्षेत्रीय रेलवे से संबंधित संसद, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति आदि से प्राप्त सभी प्रश्नों के त्वरित और सही उत्तर सुनिश्चित करना;

(iii) जोनल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का प्रभारी होगा और उसके द्वारा प्राप्त संदेशों की निगरानी करेगा और उन पर उचित कार्रवाई करेगा;

(iv) जोनल रेलवे में बल के कार्यालयों और इकाइयों का निरीक्षण करना, जैसा कि उन्हें संबंधित प्रधान * मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा सौंपा जा सकता है और उनके बेहतर कामकाज के लिए तरीके और साधन सुझा सकते हैं; तथा

(v) इस तरह की पूछताछ करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों में भाग लेना जो संबंधित प्रिंसिपल * मुख्य सरक्षा आयुक्त दवारा उसे सौंपे जा सकते हैं।

नियम-37 : कर्मचारी अधिकारी या निजी सहायक की शक्तियां और जिम्मेदारियां:

37.1 कर्मचारी अधिकारी या निजी सहायक निम्नलिखित कार्यों के निर्वहन में संबंधित प्रधान * मुख्य सुरक्षा आयुक्त की सहायता करेगा:

(ए) प्रशासन - भर्ती, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन और भत्ते, बजट, अनुशासन, कानूनी मामले और डेटा प्रोसेसिंग, रिजर्व कंपनियां, बैंड आदि सहित;

(बी) योजना और विकास - जनशक्ति नियोजन, करियर योजना, प्रदर्शन का मूल्यांकन, नौकरी की आवश्यकता, कर्मियों के रिकॉर्ड और मैनुअल सहित, निरीक्षण नोट्स और प्रचार पर अनुवर्ती कार्रवाई;
(सी) कल्याण और सेवा- जिसमें शिकायतें, कर्मचारी संबंध, आवास, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ, कल्याणकारी योजनाएं, फंड, कैंटीन और मेस शामिल हैं।
37.2 वह इसके लिए भी जिम्मेदार होगा:
(ए) मुख्यालय स्तर पर बुलाई जाने वाली आवश्यक आवधिक बैठकें आयोजित करना;
(बी) मुख्यालय में रेलवे के अन्य विभागों के साथ संपर्क बनाए रखना; तथा
(सी) औपचारिक परेड, वीआईपी यात्राओं और इसी तरह के अन्य मामलों का आयोजन।
37.3 वह इन नियमों और/या मौजूदा रेलवे नियमों के तहत अपने समकक्षों के लिए निर्धारित सुरक्षा आयुक्तालय में तैनात मंत्री कर्मचारियों के संबंध में समान प्रशासनिक और अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो प्रधान द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं * संबंधित मुख्य सुरक्षा आयुक्त।

नियम -38 : सुरक्षा आयुक्तालय में पदस्थापित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व : अपराध, विशेष आसूचना, [+] और अग्निशमन सेवा आदि के प्रभारी पदस्थापित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के उत्तरदायित्व ऐसे होंगे जो निर्देशों के माध्यम से या संबंधित प्रधान * मुख्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

नियम-39 : विभागीय सुरक्षा आयुक्त की शक्तियां और जिम्मेदारियां:
39.1 विभागीय सुरक्षा आयुक्त रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा, सुरक्षा और सुचारू आवाजाही के साथ-साथ अपने अधिकार क्षेत्र में बल के कुशल प्रशासन के लिए संबंधित प्रिंसिपल * मुख्य सुरक्षा आयुक्त के प्रति सीधे जिम्मेदार होंगे और नामांकित से संबंधित सभी स्थापना मामलों से निपटेंगे। उसके नियंत्रण में रखे गए बल के सदस्य।
39.2 वह स्थापना और अन्य मामलों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि अनुसूची II से IV में और मौजूदा रेलवे नियमों के तहत दिया गया है।
39.3 विभागीय सुरक्षा आयुक्त अपने मंडल में रेलवे की संपत्ति और उससे जुड़े मामलों को बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के तरीके और साधन तैयार करेगा और ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो संबंधित प्रधान * मुख्य सुरक्षा आयुक्त दवारा या इस विषय पर उन्हें दिए जा सकते हैं। बल के किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी दवारा उसकी ओर से।
39.4 वह मंडल में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों, पोस्ट कमांडरों और कंपनी कमांडरों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने और रेलवे संपत्ति को बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी गतिविधियों में सहायता, सलाह या निर्देश देने के लिए निकट संपर्क में रहेगा।
39.5 वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपने सहायक सुरक्षा आयुक्तों, सभी रेलवे सुरक्षा बल पोस्टों, कंपनियों, महत्वपूर्ण आउट पोस्टों, डिटेचमेंटस आदि के कार्यों का यथासंभव बार-बार और किसी भी मामले में वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा और ऐसे कार्रवाई जो उसकी क्षमता के भीतर हो सकती है या ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो मौजूदा दोषों को दूर करने या कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक समझे।
39.6 उनके अन्य कार्यों में शामिल होंगे:

(ए) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर परेड और किट निरीक्षण में भाग लेना और अपराध की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अपने डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों, पोस्ट कमांडरों और कंपनी कमांडरों के साथ मासिक बैठकें करना;
(बी) उनकी कमान के तहत रखे गए फोर की प्रभावी और परिणामोन्मुखी तैनाती सुनिश्चित करना;
(सी) रेलवे की संपत्ति के खिलाफ चोरी, चोरी और अन्य अपराधों के खिलाफ सभी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन करना और संबंधित अधिकारियों को ऐसे सुधारों का सुझाव देना जो आवश्यक हो;
(डी) अपराध का सही लेखा-जोखा सुनिश्चित करना, चोरी की गई रेलवे संपत्ति की वसूली के लिए गहन और त्वरित जांच करना और अपराधियों और प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाना;
(ई) रेलवे संपत्ति और उससे जुड़े मामलों की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए रेलवे पुलिस, नागरिक प्रशासन और अन्य रेलवे विभागों सहित पुलिस में अपने समकक्षों के साथ संपर्क;
(फ) चोरी, चोरी, नुकसान और बुक की गई खेप की कमी के कारण पसंदीदा और भुगतान किए गए दावों पर नजर रखना और दावा निवारण कार्यालय में अपने समकक्ष के सहयोग से निवारक उपाय करना ताकि ऐसी घटनाओं में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोका जा सके जिससे ऐसे दावों को कहीं भी देखा जा सके। उसके अधिकार क्षेत्र में;
(जी) अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी रिपोर्ट और रिटर्न जमा करना, जो उनके डिवीजनों में कहीं भी देखी गई रेलवे की सुरक्षा और कामकाज को प्रभावित करने वाली विध्वंसक और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों पर रिपोर्ट शामिल करने के लिए कहा जा सकता है; तथा
(च) अधिनियम और इन नियमों के तहत संबंधित महानिदेशक या प्रधान * मुख्य सुरक्षा आयुक्त दवारा जारी सभी निर्देशों और निर्देशों के अपने आदेश के तहत सभी संबंधितों द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना।
नियम-40 : संभाग के अन्य वरिष्ठ एवं अधीनस्थ अधिकारियों की शक्तियां एवं दायित्व :
विभागीय सुरक्षा आयुक्त की सहायता के लिए तैनात अन्य वरिष्ठ और अधीनस्थ अधिकारियों की शक्तियाँ और दायित्व ऐसे होंगे जो निर्देशों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

नियम-41 : बल के नामांकित सदस्यों की सामान्य शक्तियाँ और कार्य:
41.1 बल के नामांकित सदस्यों के प्राथमिक कार्य होंगे-
(ऐ)रेलवे की संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा करना और उसके खिलाफ अपराध का मुकाबला करना;
(बी)रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा के लिए कोई अन्य कार्य करना;
(सी)रेलवे संपत्ति की आवाजाही में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए; तथा
(डी) संघ के सशस्त्र बल के अन्य कार्यों को करने के लिए और भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 के तहत या के तहत रेलवे कर्मचारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए।
41.2 बल के नामांकित सदस्यों के अन्य कार्य होंगे:
(i) उन स्थितियों की पहचान करने के लिए जिनमें रेलवे संपत्ति के खिलाफ अपराध करने की क्षमता है या तो स्थिर या पारगमन या मोबाइल में और रेलवे प्रशासन को उपचारात्मक उपाय करने या बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था या दोषपूर्ण प्रक्रियाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए।
(ii) रेलवे की संपत्ति के खिलाफ चोरी, आंसिक चोरी, हेराफेरी, धोखाधडी आदि के अवसरों को कम करने के लिए, आकस्मिक निवारक जांच या अन्य उपयुक्त उपायों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त का विवरण, ब्लैक स्पॉट पर गार्ड और पिकेट की पोस्टिंग, एस्कॉर्टिंग के माध्यम से रेलवे राजस्व के

रिसाव को कम करना। प्रभावित ट्रेनों की, कार्यशालाओं, दुकानों, माल गोदामों, डिपो, पार्सल कार्यालयों, यार्डों और ऐसे अन्य स्थानों पर और किसी भी स्टेशन पर या रेलवे संपत्ति के गंतव्य के रास्ते में खुली या विनीत निगरानी रखना;

(iii)रेलवे संपत्ति के खिलाफ अपराध की रोकथाम सुनिश्चित करने और इसकी बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्य उपयुक्त उपायों को लागू करने में अन्य रेलवे एजेंसियों या पुलिस या अन्य अधिकारियों के उपायों की सहायता, सहयोग और समन्वय करना;

(iv)रेलवे संपत्ति की चोरी, दुरुपयोग, क्षति या छेडछाड के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए किसी भी समय या स्थान पर हस्तक्षेप करना या वैध अधिकार के बिना इसे निजी उपयोग में परिवर्तित करना और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना;

(v)रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1966 के तहत पंजीकरण करना और पूछताछ करना, अपराधियों को पकडना और उससे जडी बाद की कानूनी कार्यवाही में भाग लेना;

(vi)रेलवे की संपत्ति के खिलाफ सभी संज्ञेय अपराधों के लिए स्थानीय पुलिस को पंजीकरण के लिए रिपोर्ट दर्ज करना या तुरंत पास करना, अपराध को स्थानीय बनाने के लिए पूछताछ करना और साक्ष्य एकत्र करना या जो अन्यथा आवश्यक माना जाता है और ऐसी अन्य सहायता प्रदान करना जो जांच में संभव हो सके। (vii)ऐसे मामले;(i),(ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) रेलवे पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 39 की उप-धारा (1) की और ऐसी जानकारी रखने और कानून के अनुरूप और अपने वरिष्ठों के आदेशों के अनुरूप ऐसे अन्य कदम उठाने के लिए जो अपराधियों को लाने के लिए सबसे अच्छी गणना की जाएगी। न्याय के लिए और संज्ञेय और उनके विचार में, गैर-संज्ञेय अपराधों के कमीशन को रोकने के लिए;

(viii)रेलवे की सुरक्षा और कामकाज को प्रभावित करने वाली विध्वंसक और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों के साथ-साथ रेलवे संपत्ति पर अपराधियों और संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना;

(ix) रेलवे प्रशासन और पुलिस को निवारक उपायों का सुझाव देने के लिए संदिग्ध तोडफोड या टैक के साथ छेडछाड या रेलवे संपत्ति की आवाजाही में बाधा के सभी मामलों का अध्ययन करने के लिए;

(x) नियम 42 के अधीन, हडतालों और तालाबंदी के दौरान रेलवे प्रशासन की सहायता करने के साथ-साथ भीड की हिंसा या नागरिक अशांति के दौरान या कानून और व्यवस्था बनाए रखने और रेलवे अपराध के नियंत्रण के लिए या नागरिक शक्ति की सहायता के लिए भारत में कहीं भी प्रतिनियुक्त होने पर पुलिस की सहायता करना।

(xi) टिकट रहित यात्रियों, अलार्म चेन खींचने वालों, अनधिकृत फेरीवालों पर छापे के दौरान और भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले या नली के पाइप काटने में शामिल लोगों पर छापे के दौरान रेलवे के वाणिज्यिक और अन्य विभागों की सहायता करने के लिए;

(xii) बल के किसी अन्य सदस्य को ऐसे अन्य सदस्य दवारा बुलाए जाने पर या ऐसे अन्य सदस्य के कर्तव्य के निर्वहन में आवश्यकता के मामले में, ऐसे तरीके से सहायता करना जो सदस्य की ओर से वैध और उचित होगा इस प्रकार सहायता प्राप्त;

(xiii) रेलवे संपत्ति को आग से किसी भी नुकसान या क्षति को रोकने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करना;

(xiv) रेलवे की संपत्ति से जुड़ी आग की घटनाओं के सभी मामलों को रिकॉर्ड करना और उनका अध्ययन करना और निवारक उपायों का सुझाव देना और रेलवे स्टेशनों, प्रतिष्ठानों पर अग्निशमन उपकरणों का संचालन और रखरखाव करना,
आदि।:
(xv) रेलवे के नकद कार्यालयों की रखवाली करना और उनके वेतन लिपिकों का अनुरक्षण करना;
(xvi) किसी घायल या बीमार व्यक्ति के लिए आवश्यक चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए त्वरित उपाय करना
गिरफ्तार या हिरासत में;
(xvii) हर उस व्यक्ति के लिए उचित भरण-पोषण और आश्रय की व्यवस्था करना जो गिरफ़्तार या जेल में है
हिरासत:
(xviii) की सहमति से या उसकी सहमति से बल को सौंपे गए किसी अन्य सुरक्षा कर्तव्य को करने के लिए
रेल प्रशासन जिसके निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और महानिदेशक या प्रधान * मुख्य सुरक्षा आयुक्त, जैसा भी मामला हो, का अनुमोदन प्राप्त किया गया है; तथा
(xix) बल के किसी वरिष्ठ अधिकारी दवारा उसे कानूनी रूप से जारी किए गए सभी आदेशों का तरंत पालन करना और निष्पादित करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो उस पर किसी भी कानून द्वारा लागू या किसी भी रेलवे नियम द्वारा उस पर लगाए गए हैं।

-: o0o: -